भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3541

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना

3541. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के अंतर्गत निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, रोजगार और अवसंरचना विकास सहित प्रभावशाली परिणामों के लिए इन निधियों की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो इन निगरानी तंत्रों का ब्यौरा क्या है और आवंटित निधियों के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों के विकास में कितना प्रभाव देखा गया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

डीएपीएसटी निधियों का मंत्रालय-वार और योजना-वार विवरण केंद्रीय बजट दस्तावेज के विवरण 10ख में https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों की डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए https://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। यह फ्रेमवर्क सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे आंकड़े प्राप्त करता है और डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन की तुलना में व्यय को देखने में मदद करता है। मंत्रालय डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटन, उपयोग और वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने के लिए बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ समय-समय पर बैठकें भी आयोजित करता है। बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और डैशबोर्ड के माध्यम से योजना/कार्यक्रम-वार प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी भी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते समय अधिकारी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की डीएपीएसटी के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की हैं। दो नई योजनाएं/कार्यक्रम - 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और 79,156 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में पीवीटीजी और एसटी के लक्षित विकास के लिए शुरू किए गए हैं।

पीएम जनमन की हस्तक्षेप-वार या मंत्रालय-वार प्रगति की नियमित निगरानी के लिए, पीएम जनमन के तहत पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मंत्रालय-वार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं। इन डैशबोर्डों में डायनेमिक डाटा को एपीआई साझाकरण के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों के एमआईएस पोर्टलों से सीधे प्राप्त किया जाता है और डैशबोर्ड पर उपयोगी फ़ील्ड को प्रदर्शित किया जाता है।

पीएम जनमन के अंतर्गत हुई प्रगति इस प्रकार है:

मंत्रालय	हस्तक्षेप	जिनके लिए स्वीकृति दी गई है
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के घर	336367 घर
	संपर्क सड़कें	4484.30 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)	616 एमएमयू
पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	पाइप जलापूर्ति (एफएचटीसी)	6350 गाँव 100% परिपूर्ण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	1864 आंगनवाड़ी केन्द्र
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	194 छात्रावास
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	1499 बस्तियाँ
विद्युत मंत्रालय	एचएच का ऊर्जाकरण	140440 एचएच
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	एचएच का ऊर्जाकरण	9569 एचएच
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	873 एमपीसी
	वीडीवीके की स्थापना	501 वीडीवीके

*मंत्रालयों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार (दिनांक 20/11/2024 तक)

प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त जानकारी, बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी प्रगति हुई है, जो नीचे दी गई है:

यूडीआईएसई+, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार:

- उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एसटी के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) पर जीईआर वर्ष 2013-14 के 91.33% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 98.0% हो गया है, माध्यमिक स्तर (IX-X) पर वर्ष 2013-14 के 70.2% से बढ़कर वर्ष 2021-22 के 78.10% हो गया है और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर यह वर्ष 2013-14 में 35.44% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 52.00% हो गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार:

- अनुसूचित जनजातियों की उच्च शिक्षा हेतु जीईआर वर्ष 2013-14 के 11.3% से

बढ़कर वर्ष 2021-22 में 21.2% हो गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार:

- अनुसूचित जनजातियों की शिशु मृत्यु दर वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-3) के 62.1 से घटकर वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 44.4 और वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 41.6 हो गई है।
- अनुसूचित जनजातियों की पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-3) की 95.7 से घटकर वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 57.2 और वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 50.3 हो गई है।
- अनुसूचित जनजाति महिलाओं के संबंध में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2005-06 (एनएफएचएस -3) के 17.7 से बढ़कर वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस -4) में 68.0 और वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस -5) में 82.3 हो गया है।
- 12-23 माह की आयु के अनुसूचित जनजाति बच्चों का पूर्ण टीकाकरण वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-3) के 31.3% से बढ़कर 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 55.8% और वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 76.5% हो गया है।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों में वृद्धि (आयु के अनुरूप ऊंचाई) में रूकावट की व्यापकता 2005-06 (एनएफएचएस-3) की 53.9% से घटकर 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 43.8% और 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 40.9% हो गई है।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता (लंबाई के अनुसार वजन) 2005-06 (एनएफएचएस-3) की 27.6% से घटकर 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 27.4% और 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 23.2% हो गई है।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों में कम वजन (आयु के अनुसार वजन) की व्यापकता 2005-06 (एनएफएचएस-3) की 54.5% से घटकर 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 45.3% और 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 39.5% हो गई है।
- 18.5 से कम बीएमआई वाली अनुसूचित जनजाति महिलाओं की पोषण की स्थिति वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-3) के 46.6% से घटकर वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 31.7% और वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस -5) में 25.5% हो गई है।

******